

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अमरचंद पिता मेघा माली निवासी राशमी, तहसील राशमी वगैरा
बनाम

शंकरलाल पिता उदयराम खटीक निवासी राशमी, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 28/2018 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में पुनः रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	